## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th August, 2004

**G.S.R. 300.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Security Guard (Group 'B' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Security Guard (Group 'B' Non-Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Security Guard (Group 'B' Non-Gazetted post) Recruitment Rules, 2002 :—

(i) in rule 1, in sub-rule (1) for the figure "2002" the figure "2003" shall be substituted.

(ii) in the schedule, against serial numbers 1 to 17, in column (2), for the figure "2002" the figure "2003" shall be substituted.

[No. 307/3/2004/NSG/Pers III]

DURGA SHANKER MISHRA, Director (Pers)

**Foot Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* GSR No. 53, dated 8th February, 2003.

---

## पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2004

**सा.का.नि. 301.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक) भर्ती नियम, 1973 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संक्रियात्मक अनुसंधान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संक्रियात्मक अनुसंधान) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आंधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।